उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।
(विकास शाखा)
E-Mail – ddcgumla2014@gmail.com
Phone No. 06524-222209 Fax No. 06524-222209

अति–अल्पकालीन निविदा हेतु निर्धारित शर्त्तें :–

श्री भूषण तिर्की, माननीय स0वि0स0, गुमला विधान सभा क्षेत्र द्वारा विधायक योजना मद अन्तर्गत गुमला विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत गुमला, चैनपुर, रायडीह एवं डुमरी प्रखण्ड के विभिन्न विद्यालयों में छात्रोपयोगी पुस्तकों के क्रय कर आपूर्त्ति हेतु अनुशंसा की गई है। इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 13.02.2020 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदादाता अनुशंसित पुस्तकों की विवरणी एवं निविदा से संबंधित अन्य शर्त्ते गुमला जिले के वेवसाईडट http://gumla.nic.in पर देख सकते है।

निविदा दिनांक 13.02.2020 के अपराह्न 03.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

उक्त निविदा में इच्छुक निविदादाता निम्नांकित शर्तों के अधीन निविदा में भाग ले सकते है :–

01. निविदादाता तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना सुनिश्चित करेगें।
02. तकनीकि बीड हेतु निविदा के साथ 50,000.00 (पचास हजार) रूपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट (लौटाने योग्य), उप विकास आयुक्त, गुमला के पदनाम से जो गुमला में भुगतेय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. फर्म / प्रकाशक / अधिकृत विक्रेता का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं गुणवत्ता हेतु ISO प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
04. फर्म / प्रकाशक / अधिकृत विक्रेता का वैध पैन एवं GST नम्बर धारक होना एवं विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी / स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
05. अधिकृत विक्रेता को संबंधित प्रकाशक से पुस्तकों की बिक्री हेतु प्राधिकार–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।

55

07. वित्तीय बीड में निविदादाता आपूर्त्ति की जाने वाली सभी पुस्तकों पर एकमुश्त छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेगें।

08. तकनीकि बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

09. सफल निविदादाता को पुस्तकों की आपूर्त्ति स्वयं के खर्च पर संबंधित विद्यालयों में अधिकतम एक माह के अंदर करनी होगी, इसके लिए कोई अलग से राशि (परिवहन एवं हथालन व्यय) देय नहीं होगा।

10. सफल निविदादाता को आपूर्त्ति की जाने वाली पुस्तकों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. आपूत्तिकर्त्ता को पुस्तकों की आपूर्त्ति के पश्चात् प्रस्तुत विपत्र पर कर–कटौती के पश्चात् राशि का भुगतान किया जायेगा।

12. किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताये स्थागित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

13. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र गुमला ही होगा।

ह0 / –
उप विकास आयुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक :- VIII/01/2020/...109...(ii)/वि0 गुमला, दिनांक :- ...04...वीं फरवरी 2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को निविदा–पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन एक दिन स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता–सह–वेव मैनेजर, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन जिले के वेवसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

04.02.2020

उप विकास आयुक्त,
गुमला।